


(10)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
// अधिसूचना //


नया रायपुर, दिनांक: 05/10/2015

क्रमांक एफ 10-8/2015/16 :- राज्य शासन द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2015/16, दिनांक 26.05.2015 को अतिक्रमित करते हुये असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा-2 (k) एवं 2(n) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु आय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

“ग्रामीण क्षेत्र के लिये रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) प्रतिमाह एवं नगरीय क्षेत्र के लिये रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) तक प्रतिमाह आय प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार।”



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अब्बास खान)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग


नया रायपुर, दिनांक 05/10/2015

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-8/2015/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ.ग.)
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
5. कलेक्टर, जिला..... (छ.ग.)
6. सचिव, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, सेक्टर-27, नया रायपुर (छ.ग.)
7. कल्याण आयुक्त, छ.ग.श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
8. उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला.....(छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अभिप्रेत कर.
2/10/15


अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग